मध्य प्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

तथा

पशुपालन विभाग

क्रमांक/2613/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014, भोपाल, दिनांक 26/03/2014

प्रति,

- **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला (समस्त)**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत (समस्त)**
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
- **उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं (समस्त जिला) म.प्र.**

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पात्र पशुपालकों की कृषि योग्य भूमि व गैर कृषि योग्य भूमि पर अभिसरण अंतर्गत ली जाने वाली गतिविधियों हेतु पशुधन विकास उपयोजना का क्रियान्वयन।

प्रदेश में विगत वर्षो में कृषि को लाभ का धन्धा बनाने की दिशा में एवं पशुपालन गतिविधि को प्रोत्साहित किये जाने के अनेक सार्थक प्रयास हुए हैं। ग्रामीण परिवारों की आजीविका कृषि के साथ पशुधन से भी जुडी हुई है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक जलवायु के चक्र को पूर्ण करने में पशुधन की अहम भूमिका के दृष्टिगत राज्य शासन के दृष्टिपत्र 2018 के अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण के बिन्दु क्र. 1.G.1.8, 1.G.1.9, 1.G.3.3, तथा अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन के बिन्दु क्र. 13.3.1 शामिल किए गए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा में अनुमत कार्यो की अनुसूची–1 प्रवर्ग अ (v) प्रवर्ग आ (ii), (v) में आजीविका एवं पशुधन संबंधी कार्य शामिल किए गए है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत कृषक एवं 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले लघु कृषक हैं, जो महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पात्र वर्गो में शामिल हैं। आगामी पाँच वर्षो में कृषकों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत वृहद् स्तर पर off-farm एवं on-farm कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग के अभिसरण से लिये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। पशुधन की उत्पादकता, पर्यावरण संतुलन तथा पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे पशुपालन से जुड़े पशुपालक परिवारों की वार्षिक आय में वृद्वि संभव हो एवं उनकी स्थाई आजीविका का संसाधन बन सके, इस हेतु दोनों विभागों

की योजनाओं/कार्यक्रमों के अभिसरण से पशुधन विकास उपयोजना की आयोजना तैयार की गई है।

विवरण निम्नानुसार है :–

1/ महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत निम्न श्रेणी के परिवारों के स्वामित्वाधीन कृषि भूमि/निवास की भूमि पर हितग्राही मूलक कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी :–

(i) अनुसूचित जाति परिवार।
(ii) अनुसूचित जनजाति परिवार।
(iii) घुमन्तु जनजाति परिवार।
(iv) अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां।
(v) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य परिवार।
(vi) ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला है।
(vii) ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग हैं।
(viii) भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार।
(ix) इंदिरा आवास योजना के हितग्राही।
(x) वन अधिकार अधिनियम 2006, (2 of 2007) अन्तर्गत लाभान्वित हक प्रमाण–पत्र धारक।
(xi) **ग्राम पंचायत अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के पात्र हितग्राही लाभान्वित किए जाने के उपरांत**– लघु व सीमान्त कृषक (कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन (INRM) एप्रोच के तहत किए जाने हेतु निर्देश दिए गए है। अतएव बिन्दु i से x तक के कृषकों के समीप लघु व सीमान्त कृषक की भूमि आने पर उन्हें एकसाथ लाभान्वित किया जा सकेगा।

परन्तु, महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुसार उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणी के परिवारों के खेत–खलिहान/निवास की भूमि में व्यक्तिगत कार्य निम्न शर्तों के अध्याधीन ही प्रारंभ किए जा सकते है :–

(i) उक्त श्रेणी के परिवार का जॉब कार्डधारी होना अनिवार्य होगा।
(ii) लाभार्थी अपनी खेत–खलिहान की भूमि अथवा पशुपालक के निवास की भूमि पर शुरू की गई परियोजना पर कार्य करेंगे।
(iii) लाभार्थी की कृषि भूमि/निवास की भूमि पर लिए जाने वाले कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के Shelf of Project (SOP) का अनिवार्य रूप से हिस्सा होंगे।

2/ महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 1 में उल्लेखित श्रेणियों के परिवारों की कृषि भूमि/निवास की भूमि पर निम्न कार्य लिए जा सकते हैं :–

2.1 **off-farm अनुमत कार्य** (गैर कृषि योग्य भूमि पर अनुमत कार्य) :–

(i) दुधारु पशु इकाई हेतु आश्रय निर्माण ।

(ii) बकरी इकाई हेतु आश्रय निर्माण ।

(iii) वराह त्रयी (सूकर इकाई) आश्रय निर्माण ।

(iv) मुर्गी पालन (बैकयार्ड/कडकनाथ/स्माल होल्डर पोल्ट्री योजना) के लिए शेड निर्माण ।

(v) अजोला उत्पादन (मवेशी पूरक आहार) हेतु पिट निर्माण।

2.2 **on-farm अनुमत कार्य**

(i) चारागाह हेतु भूमि विकास।

(ii) सिंचाई सुविधा हेतु कूप/खेत तालाब निर्माण।

(iii) मवेशी/बकरी आदि के आहार से संबंधित वृक्षारोपण जैसे बबूल, नीम आदि।

3/ **अनुमत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–**

3.1 **अनुमत कार्य के फ्लैक्स लगाना** – मनरेगा अधिनियम में वर्णित अनुमत कार्यों की सूची एवं उन कार्यों के लिये पात्र हितग्राही का विवरण दर्शाते हुए फ्लैक्स तैयार किया जाएगा।

3.2 **ग्राम का पटवारी नक्शा प्राप्त करना** – ग्राम/ग्राम पंचायत का पटवारी नक्शा प्राप्त कर नक्शे में मनरेगा योजना के पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, स्वीकृत परंतु अप्रारंभ कार्यों तथा नवीन प्रस्तावित कार्यों का चिन्हांकन किया जाएगा।

3.3. **मनरेगा एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं का अभिसरण**

- ग्रामवार मनरेगा में पात्र वर्ग के पशुपालकों का डाटाबेस नेट प्लानिंग से तैयार किया जाएगा।
- विगत वर्षो में मनरेगा से निर्मित ऐसी सरंचनाओं का पटवारी रिकार्ड में इन्द्राज एवं पशुपालन से संबंधित नवीन गतिविधियों हेतु खेतवार कार्य एवं परिवारवार कार्य का चिन्हांकन किया जाएगा।

3.4 **ट्रांजिट वॉक** – उपयंत्री, सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी तथा ग्राम के हिताधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा ग्राम का भ्रमण कर उपयोजना के लिये पात्र हितग्राहियों को चिन्हाकिंत कर, परिवारवार स्थल चयन किया जाएगा। पटवारी नक्शे पर चिन्हाकंन किया जाएगा एवं लेबर बजट एवं पात्रता के अनुक्रम अनुसार SOP में कार्य को शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।

पशुपालन विभाग की योजनाएँ डेरी इकाई/बकरी इकाई/सूकर प्रदाय/मुर्गीपालन के अंतर्गत नवीन हितग्राही जिनके बैंकों द्वारा ऋण

व्यवस्था के प्रकरण स्वीकृत हो चुके हो, ऐसे हितग्राहियों के यहां पशुधन उपलब्ध होने के उपरांत मनरेगा के तहत प्रस्तावित कार्य लिए जा सकेगें।

3.5 **कार्यों का सूचीकरण** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले कार्यों को हितग्राहीमूलक कार्यों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाएगा।

3.6 **अभिसरण** –

तालिका – 1

गतिविधि का नाम	अभिसरण	
	मनरेगा से	पशुपालन विभाग से
पशुधन इकाई हेतु आश्रय स्थल निर्माण	मनरेगा से 6 पशुओं के लिये आश्रय (7.7 मी. x 3.5 मी.)– पक्का फ्लोर, यूरिन टैंक व नाद निर्माण संलग्न ड्रांईग अनुसार	विभागीय दुधारु पशु इकाई योजना के तहत बैंक ऋण, अनुदान एवं हितग्राही अंशदान के माध्यम से 3–देशी गाय/ संकर गाय/ ग्रेडेड मुर्रा भैस का प्रदाय (तालिका 2)
बकरी इकाई हेतु आश्रय स्थल निर्माण	मनरेगा से बकरी इकाई (10+1) के लिए आश्रय (3.75 मी. x 2 मी.)– मनरेगा से शत–प्रतिशत व्यय। निर्माण संलग्न ड्रांईग अनुसार	विभागीय योजना अंतर्गत बैंक ऋण, अनुदान, एवं हितग्राही अंशदान के माध्यम से बकरी इकाई (10+1) का प्रदाय (तालिका 3)
वराह त्रयी (सूकर त्रयी) हेतु आश्रय स्थल निर्माण	मनरेगा से सूकर आश्रय (3.75 मी. x 2 मी.)।	विभागीय योजना अंतर्गत शासकीय अनुदान एवं हितग्राही अंशदान के माध्यम से वराह त्रयी इकाई (2 मादा व 1 नर सूकर) का प्रदाय (तालिका 4)
मुर्गी पालन (बैकयार्ड/स्माल होल्डर पोल्ट्री/ कडकनाथ चूजा प्रदाय योजनांतर्गत) के लिए शेड निर्माण	मनरेगा से 100 मुर्गीयों के लिये आश्रय (3.75 मी. x 2 मी.)। निर्माण संलग्न ड्रांईग अनुसार	विभागीय योजना अंतर्गत शासकीय अनुदान एवं हितग्राही अंशदान के माध्यम से पक्षियों का प्रदाय (तालिका 5)
अजोला उत्पादन हेतु पिट निर्माण	मनरेगा से केवल 01 अजोला पिट (2 मी. x 2 मी. x 0.2मी.)	तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण

चारागाह हेतु भूमि विकास।	मनरेगा से केवल भूमि विकास /सिंचाई सुविधा (कूप/ खेत तालाब निर्माण)/वृक्षारोपण मवेशी /बकरी आदि के आहार हेतु उपयोगी प्रजातियां।	तकनीकी सहयोग एवं चारा बीज प्रदाय

नोट :– उपरोक्तानुसार आश्रयों का आकार मार्गदर्शी हैं, पशुधन संख्या कम या अधिक होने पर आश्रय का आकार समानुपातिक परिवर्तित किया जा सकेगा।

3.7 पशुपालन विभाग की योजनाओं के तहत पशुधन प्रदाय हेतु हितग्राहियों की पात्रता, अनुदान एवं ऋण व्यवस्था का विवरण –

3.7.1 दुधारु पशु इकाई (3 पशुओं हेतु) योजना– सभी वर्ग के सीमान्त एवं लघु कृषक के लिए।

तालिका – 2

पशुधन	पशु की कीमत (रुपए में)	परिवहन व्यय प्रति पशु (रुपए में)	पशु बीमा 11.63 % दर से 5 वर्ष हेतु (रुपए में)	औषधि व्यय (रुपए में)	कुल योग (रुपए में)	इकाई लागत (रुपए में)
गाय देशी नस्ल–गीर/ थारपारकर/साहीवाल/ हरियाणा (दुग्ध उत्पादन 6 लीटर प्रति दिन)	15250	700	1774	276	18000	54000 (18000 प्रति पशु)
संकर गाय– एच.एफ./ जर्सी (दुग्ध उत्पादन 8 लीटर प्रति दिन)	27750	700	3227	323	32000	96000 (32000 प्रति पशु)
ग्रेडेड मुर्रा भैंस (दुग्ध उत्पादन 8 लीटर प्रति दिन)	30500	700	3547	253	35000	105000 (35000 प्रति पशु)

- अनुदान– I. अ.ज.जा/अ.जा. हेतु इकाई लागत का 33 प्रतिशत, 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान एवं शेष बैंक ऋण ।
  II. सामान्य वर्ग हेतु 25 प्रतिशत, हितग्राही अंशदान 10 प्रतिशत, बैंक ऋण– शेष बैंक ऋण । पशु आहार की व्यवस्था हितग्राही के द्वारा स्वयं की जाएगी।
- हितग्राही तीन उपयोजना में से किसी एक उपयोजना हेतु आवेदन कर सकता है।

3.7.2 बकरी इकाई (10+1) **योजना–** सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि मजदूर, सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए।

तालिका – 3

पशुधन	इकाई लागत (रुपए में)	अनुदान (रुपए में)	हितग्राही अंश	बैंक ऋण
10 देशी स्थानीय नस्ल की बकरिया, दर रु. 2150 प्रति बकरी एवं 1 जमनापरी/बारबरी/सिरोही/बीटल बकरा रु. 5000	33212	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान रु 16606, सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत अनुदान रु. 8303	10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान	शेष बैंक ऋण
बीमा राशि 10.35 % दर 5 वर्ष हेतु राशि रु. 2742 , औषधि एवं टीकाकरण –रु. 1000, बकरी आहार 3 माह हेतु रु. 2970 इकाई लागत में शामिल है।				

3.7.3 वराह त्रयी (सूकर त्रयी) योजना–

तालिका – 4

हितग्राही	पशुधन	इकाई लागत	अनुदान	हितग्राही अंश	रिमार्क
अनुसूचित जनजाति के वराह पालक	1 उन्नत नस्ल का नर वराह, 2 उन्नत नस्ल की मादा वराह	रु. 8000	75 प्रतिशत (रु. 6000)	25 प्रतिशत (रु. 2000)	प्रदेश के अनु. जनजाति बाहुल्य जिलो में क्रियान्वित

3.7.4 मुर्गी पालन योजना–

तालिका – 5

(राशि रुपए में)

क.	गतिविधि का नाम	मुर्गी/चूजो का प्रकार	मुर्गी/चूजो हेतु राशि	औषधि/अन्य व्यय प्रति इकाई राशि	परिवहन व्यय राशि	कुक्कुट आहार राशि	इकाई लागत (राशि)
1	बैकयार्ड इकाई का प्रदाय (केवल अनु. जाति एवं अ.ज. जाति वर्ग के लिए)	28 दिवसीय 40 चूजे	1320	65	115	–	1500
2	कडकनाथ इकाई का प्रदाय (अनु. ज.जा. वर्ग के लिए)	28 दिवसीय 40 चूजे	1600	100	150	250	2100

	अनुदान– अ.ज.जा/अ.जा. हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत, हितग्राही अंशदान 20 प्रतिशत						
3	गतिविधि का नाम	मुर्गी/चूजो का प्रकार	पक्का शेड निर्माण	केज एवं अन्य	मुर्गी क्रय एवं अन्य व्यय	आहार, दवाई, बिजली	इकाई लागत
	स्माल होल्डर पोल्ट्री स्कीम (गरीब महिला हितग्राहियों हेतु)	15–16 सप्ताह के 160 कमर्शियल लेयर ग्रोअर	45375	30000	33620	89280	198275
	रिमार्क– अनुदान 50 प्रतिशत (राशि रु. 99000) , हितग्राही अंशदान 50 प्रतिशत						

3.8 तालिका 1 में अनुमत कार्य मनरेगा में पात्र ऐसे हितग्राहियों के यहां भी लिये जा सकेगें जिनके यहां पूर्व से पशुधन उपलब्ध है।

3.9 **मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का ध्यान रखा जाना** – मनरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 रखा जाता है एवं निर्धारित अनुपात प्रत्येक कार्यवार न होकर ग्राम पंचायत स्तर पर एक वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि में मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 सुनिश्चित किया जाना है।

3.10 **लेबर बजट तैयार करना–** प्रत्येक जिले में रोजगार की मांग के आधार पर सृजित होने वाले मानव दिवस एवं क्रियान्वित होने वाले कार्यों की लागत के अनुसार लेबर बजट तैयार किया जाना है। लेबर बजट त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से अनुमोदित होना आवश्यक है।

3.11 **कार्यों की प्राथमिकता तय करना** –मनरेगा अधिनियम की अनुसूची – 1 में अनुमत कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक सीजन जैसे गर्मी, बरसात, शीत एवं वसंत ऋतु में कौन से कार्य लिये जाने हैं एसओपी में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा।

3.12 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करना** – लेबर बजट के आधार पर संभावित रोजगार की मांग प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। लेबर बजट अनुसार सृजित हो सकने वाले मानव दिवस संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का निर्माण म.प्र.शासन पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समस्त जिलो के लिये राज्य योजना आयोग, म0प्र0 एवं समस्त जिला कलेक्टर द्वारा दुधारु पशु

इकाई, बकरी इकाई, बैकयार्ड इकाई एवं कडकनाथ चूजा प्रदाय योजनांतर्गत जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण माह जनवरी 2014 में किया गया है।

3.13 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन** – ग्राम का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्राम सभा द्वारा, ग्राम पंचायत में सम्मिलित सभी ग्रामों की ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जनपद पंचायत द्वारा एवं जनपद पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।

3.14 **कार्यों की स्वीकृतियां – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति** – ग्रामीण विकास विभाग की चालू वित्तीय वर्ष हेतु अद्यतन जिला दर अनुसूची के आधार पर प्राक्कलन तैयार किए जाएंगे एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जाएगी। तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

3.15 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट को नरेगा सॉफ्ट में संकलन** – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों का संकलन नरेगा सॉफ्ट में किया जावेगा।

4/ **प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर डीपीआर फ्रीज करना** – अनुमोदित शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त होने के पश्चात कार्यों के डीपीआर नरेगा साफ्ट में फ्रीज किए जाएंगे।

5/ **कार्यो का कियान्वयन** – मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यो की कियान्वयन एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत रहेगी। कार्य का संपादन ई–मस्टर रोल पद्धति से जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा किया जाएगा।

5.1 **क्रियाशील जॉब कार्डधारी समूहों द्वारा कार्य का सम्पादन** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए क्रियाशील जॉबकार्डधारियों के भूमिहीन तथा भूमिधारी पृथक–पृथक समूह गठित किये गये है। प्रत्येक समूह में 50 परिवार सदस्य होंगे। समूह के सदस्यों द्वारा कार्य पर्यवेक्षक के रूप में मेट का चयन किया गया है। मेट की योग्यता न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है। मेट के मुख्य कार्य समूह से रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त करना, आवेदन संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को प्रस्तुत करना, पावती प्राप्त कर सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराना, कार्यस्थल पर श्रमिकों की ई–मस्टर रोल पर उपस्थिति लेना, कार्य का प्रारंभिक माप दर्ज करना आदि है।

5.2 **रोजगार सप्ताह से कार्य को प्रारंभ करना** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य प्रारंभ करने के लिए दिन का निर्धारण पूर्व से ही किया गया है।

कार्य का मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा साप्ताहिक मस्टर रोल क्लोजर से 3 दिवस के अन्दर किया जावेगा। इस प्रकार, सप्ताह में कराए गए कार्य के मूल्यांकन उपरांत एफटीओ के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

5.3 **मजदूरी भुगतान 15 दिवस के अंदर सुनिश्चित करना** – कार्य का संपादन ई–एफएमएस प्रणाली से एवं अधिनियम अनुसार 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान करना वैद्यानिक बाध्यता है। उपयंत्री द्वारा कार्य के साप्ताहिक मूल्यांकन पश्चात् सहायक लेखाधिकारी मनरेगा, एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एमआईएस सुनिश्चित करते हुये एफटीओ जारी कर श्रमिकों एवं सामग्री प्रदायदाता को उनके बैंक/पोस्ट आफिस के खातों में भुगतान किया जाएगा।

5.4 **खसरे में दर्ज करना** – कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित पटवारी के खसरे – नक्शे में कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी इन्द्राज कराई जाए।

5.5 **सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता** – ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराए गए प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

6/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में परिपत्र की कंडिका 1 में वर्णित हितग्राहियों के लिए कंडिका 2 में उल्लेखित कार्यों से लाभान्वित कर उनकी आजीविका सुदृढ़ करने हेतु रणनीति तैयार की जाए।

7/ उक्त दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो इस हेतु उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से तथा पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लगातार समन्वय स्थापित करेंगे। पशुपालन विभाग के समस्त पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी/सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ग्राम पंचायतों की वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित कराने हेतु ग्राम पंचायतों से समन्वय तथा सम्पर्क स्थापित करेंगे। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में समस्त पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कंडिका 1 में पात्र पशुपालक हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करेंगे तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन में सेतु का कार्य करेंगे।

8/ इस उपयोजना के कार्यो के लिए कार्यो के चयन, प्राक्कलन, स्वीकृति, मूल्यांकन, भुगतान तथा पर्यवेक्षण के लिए म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

विभाग एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देश यथावत् लागू होंगे।

9/ समस्त पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी/सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी कार्य के मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण में भी ग्राम पंचायतों को सतत एवं सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत होने के कारण लेखा संधारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा एवं अंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

10/ कार्यो का निष्पादन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नवीन परिपत्र क्रमांक 2 दिनांक 20 फरवरी 2013 के अधीन सम्पन्न किया जाएगा। प्रत्येक कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाया जाएगा।

11/ श्रमिकों का भुगतान उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस में फ्रीज किये गये खातों में जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से निर्धारित अवधि में किया जाएगा। जिन पशुपालक हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाते नहीं खुले हैं उनके खाते खुलवाने में ग्रामीण सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी सहयोग करेंगे।

उक्त कार्य राज्य शासन के दृष्टिपत्र 2018 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्ति की दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। अतः इस संयुक्त परिपत्र पर त्वरित तथा प्राथमिकता से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

22.03.14

प्रभांशु कमल
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पशुपालन विभाग

22/3/14

डॉ. अरूणा शर्मा
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचा. एवं ग्रा.वि. विभाग

पृ. क्र./ 2614 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014, भोपाल, दिनांक 26/03/14

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. आयुक्त, मनरेगा।
4. आयुक्त, पंचायतीराज ।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.।
6. संचालक, पशुपालन विभाग
7. समस्त संभागायुक्त
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल म.प्र.

9. समस्त संयुक्त संचालक,(पशु चिकित्सा सेवाएं)
10. समस्त कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)
11. समस्त उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रति,

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर ।

22.03.15

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पशुपालन विभाग

22/3/15

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचा. एवं ग्रा. वि. विभाग